

2022/578

फर्द अहकाम्

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी :- रामनिवास पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी खातीडा की ढाणी निमोद, तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :- मालीदेवी पत्नि तेजाराम जाति मेघवाल निवासी खातीडा की ढाणी निमोद, तहसील मौलासर जिला नागौर राज0 वगैराह।

किरम मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 219 सन्-2022.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
23.08.2022	<p>प्रार्थी रामनिवास पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी खातीडा की ढाणी निमोद, तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मालीदेवी पत्नि तेजाराम जाति मेघवाल निवासी खातीडा की ढाणी निमोद, तहसील मौलासर जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद खातीडा की ढाणी निमोद खसरा सं0 159, 160, 161, 162, 163 की भूमि में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>28/10/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अक्काश, अन्य कार्य। दोरे पर फरारे हैं, मिसल दिनांक 17/11/22 को पेश हो।</p>	



23/1/25

पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सह
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पेश है।
मिसल दिनांक 11/2/25 को पेश हो।

11/2/25

पत्रावली पेश हुई।


यार सभ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे हैं।
पत्रावली दिनांक 18/3/25 को पेश हो।

18/

17/2/2025

पत्रावली भेजवाई जाने पर पेश हुई।

व. जर्ची के 3 अधिन पत्र पेश कर पत्रावली को विद्वी
करवाने का निर्दिष्ट किया। व. जर्ची का 3 अधिन पत्र
व्यापकित में लीजाट किया जाकर पत्रावली में लल
शुमार डीकर नम्बर के कर हो।


उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना